

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/प्रो-05-03/14...../राँची, दिनांक

—: आदेश :—

श्री परमानन्द पाण्डेय, कनीय अभियंता, जलपथ प्रमंडल, खूँटी को योजना-सह-वित्त विभागीय परामर्शानुसार एवं दिनांक-23.04.18 को आहूत स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में श्री पाण्डेय का प्रथम योगदान की तिथि 01.04.73 होने के कारण विभागीय आदेश सं०-742 दिनांक-02.04.07 द्वारा प्रदत्त द्वितीय ए०सी०पी० की देय तिथि दिनांक-01.12.2000 को संशोधित करते हुए दिनांक-09.08.99 किया जाता है।

2. पूर्व में स्वीकृत ए०सी०पी० के तहत अगर कोई वित्तीय लाभ इन्हें प्रदान किया गया हो तो उपर्युक्त संशोधन के आलोक में श्री पाण्डेय को देय वित्तीय लाभ दी जाएगी।

3. उक्त संशोधन के प्रस्ताव में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, खूँटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 1992 राँची, दिनांक :- 12/07/18
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, खूँटी/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव।